वित्त निर्देश 34/2018

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 257/एफ-2013-04-00416/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 29 मई, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग

अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर

समस्त विभागाध्यक्ष

समस्त संभागायुक्त

समस्त कलेक्टर

छत्तीसगढ़

विषयः-राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में दिनांक 01.07.2017 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें

राज्य शासन ने वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 268/एफ 2013-04-00416 /वि/नि/चार, दिनांक 13 जून, 2017 द्वारा छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में नियत वेतन संरचना के अंतर्गत वेतन प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों को दिनांक 01.01.2017 से 136 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया है। शासन द्वारा उक्त मंहगाई भत्ते की दर में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:-

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत
दिनांक 01-07-2017 से	139 प्रतिशत

(2) राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि:-

1. बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का माह मई, 2018 के वेतन (जून 2018 को भुगतान योग्य) से नगद भुगतान किया जाएगा। एरियर भुगतान पर पृथक से निर्णय लिया जाएगा।
2. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन) के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।
3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

4. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

5. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

6. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

29/5/2018
(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

क्रमांक 258/एफ-2018-04-00416/वि/नि/चार   नया रायपुर, दिनांक 29 मई, 2018

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

(अतुल कुलश्रेष्ठ)
शोध अधिकारी